

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 2358/ 1जी-FP/UK/ROAD/13333/2015 देहरादून: दिनांक: १० फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद—देहरादून में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावड़ी तक
सेतु सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.0752 है। वन भूमि हस्तान्तरण
FP/UK/ROAD/13333/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है।
उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक- २३५/दिनांक १०२/२०१६ के द्वारा पूर्व
में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव
सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेज्चा)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/ 13333 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद—देहरादून।
- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(एस०टी०एस० लेज्चा)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नाम:

जनपद—देहरादून में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावड़ी तक सेतु
सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.0752 है 0 वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/13333/2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की
प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु देहरादून वन प्रभाग में 1.0752 है 0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण
प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि
का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में
प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेखा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण, प्रशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : १० / ०२ / २०१६

स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक—**2351** FP/UK/ROAD/13333/2015 :देहरादून:दिनांक: **09** फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय—एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:— जनपद—देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावड़ी तक सेतु सहित मार्ग निर्माण में आने वाली 1.0752 हेक्टर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/13333/2015

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

96